

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम -26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम जहाजपुर




रमेशचन्द्र पुत्र गोपाल मीणा नि. जालमपुरा

वनाम

तहसीलदार जहाजपुर

किस्म मुकदमा 136 भु. रा. अ.

मुकदमा नं. 954 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।
20.12.2023	<p>प्रार्थना-पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया। रिपोर्ट हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 26.12.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जहाजपुर (शाहपुरा)                 </p>	
26.12.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित है/नहीं है। आज उपखण्ड अधिकारी महो. अन्य राजकार्य में व्यस्त है/नहीं है। अतः पत्रावली दिनांक 26.12.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       न्यायालय एस.डी.ओ., जहाजपुर                 </p>	
03/01/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा उत्तुल रिपोर्ट के अनुसार जांच की जायगी। इस लीटर क्रि. जहाज के अन्वेषण हेतु लिखा जा रहा है। प्रमाणपत्रों के अनुसार जांच। पत्रावली केसल सुभाष होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जहाजपुर (शाहपुरा)                 </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास-श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 954 / 2023

दायर दिनांक :- 20.12.2022

अनवान

रमेशचन्द्र पुत्र गोपाल भीणा नि. जालमपुरा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी.....

:: प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपरिथत अभिभाषक

1. श्री मनोज कुमार रेगर, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक. 09.01.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मनोहरगढ, पटवार हल्का ईटुन्दा भू अभिलेख, निरीक्षक क्षेत्र लुहारीकलां तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा की आराजी खसरा संख्या 564/2 रकबा 0.3885 हैक्टयर किस्मवारानी II, आराजीनं. 564/3 रकबा 0.0162 हैक्टयर गै. आ चा दर्ज है। उक्त भूमि राजस्व नक्शे में भी इसी प्रकार से दर्ज थी, किन्तु कम्प्युटर नक्शे की फिडिंग में आराजी सं. 564/2 के स्थान पर आराजी सं. 564/3 दर्ज हो गया एवं आराजी सं. 564/3 के स्थान पर आराजी सं. 564/2 दर्ज हो गया, जिससे कुएं का क्षेत्रफल 0.3885 हैक्टयर हो गया जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है की ग्राम मनोहरगढ, पटवार हल्का ईटुन्दा भू अभिलेख, निरीक्षक क्षेत्र लुहारीकलां तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा के राजस्व नक्शे में आराजी खसरा संख्या 564/2 के स्थानपर 564/3 एवं आराजी संख्या 564/3 के स्थान पर 564/2 राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 02.01.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है, जिसमें बताया कि ग्राम मनोहरगढ प. ह. ईटुन्दा की आराजी नं. 564/2 रकबा 0.3885 है. किस्म वारानी II व आराजी नं. 564/3 रकबा 0.0162 है. किस्म गै. मु. आचा पुराने नक्शा लट्टा शीट में सही तरगीम (अंकन) है, परंतु ऑनलाईन नक्शा तैयार करते वक्त सहवन से

Do  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

आराजी नं. 564/2 किरम बरानी II के स्थान पर आराजी नं. 564/3 किरम गै. मु. आचा एवं आराजी नं. 564/3 किरम गै. मु. आचा के स्थान पर आराजी नं. 564/2 किरम बरानी II दर्ज हो गया जो अशुद्ध है। ऑनलाईन नक्शे में ग्राम मनोहरगढ, पटवार हल्का ईटुन्दा की आराजी खसरा संख्या 564/2 किरम बरानी II के स्थान पर आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा एवं आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा के स्थान पर आराजी सं. 564/2 बरानी II शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मनोहरगढ प. ह. ईटुन्दा की आराजी नं. 564/2 रकबा 0.3885 है। किरम बरानी II व आराजी नं. 564/3 रकबा 0.0162 है। किरम गै. मु. आचा पुराने नक्शा लट्ठा शीट में सही तरगीम (अंकन) है। परंतु ऑनलाईन नक्शा तैयार करते वक्त सहवन से आराजी नं. 564/2 किरम बरानी II के स्थान पर आराजी नं. 564/3 किरम गै. मु. आचा एवं आराजी नं. 564/3 किरम गै. मु. आचा के स्थान पर आराजी नं. 564/2 किरम बरानी II दर्ज हो गया जो अशुद्ध है। ऑनलाईन नक्शे में ग्राम मनोहरगढ, पटवार हल्का ईटुन्दा की आराजी खसरा संख्या 564/2 किरम बरानी II के स्थान पर आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा एवं आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा के स्थान पर आराजी सं. 564/2 बरानी II राजस्व नक्शे में शुद्ध किया जाना उचित है, जिससे न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मनोहरगढ, पटवार हल्का ईटुन्दा की आराजी खसरा संख्या 564/2 किरम बरानी II के स्थान पर आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा एवं आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा के स्थान पर आराजी सं. 564/2 बरानी II राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दामोदर सिंह)  
उपखण्ड अधिवक्ता,  
जहाजपुर (शाहपुरा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक / रीडर / 2024 / 954 / 2023


दिनांक 09.01.2024

निमित्त,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- मु.न. 954/2023 अनवान रमेश पिता गोपाल मीणा नि. जालमपुरा बनाम तहसीलदार जहाजपुर में अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम मनोहरगढ, पटवार हल्का ईटुन्दा की आराजी खसरा संख्या 564/2 किस्म बाराणी 11 के स्थान पर आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा एवं आराजी नं. 564/3 गै. मु. आचा के स्थान पर आराजी सं. 564/2 बाराणी 11 राजस्व नक्शों में दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (शाहपुरा)